

आदेश ब इजलासा डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 428/2025 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड (पूर्व में मेन्टर इण्डिया लिमिटेड), मेन्टर हाऊरा, गोविन्द मार्ग, रोडी
कॉलोनी, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बलबीर सिंह यादव पुत्र श्री राम कुंवर यादव,
2. श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री बलबीर सिंह यादव,
3. श्री प्रकाश यादव पुत्र श्री बलबीर सिंह यादव,
4. श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री बलबीर सिंह यादव,
पता:- प्लॉट नं. 176, बेरीवाली ढाणी, सिरसली, तहसील आमेर, जयपुर।
5. श्री गजानन्द यादव पुत्र श्री कानाराम यादव,
पता:- बेरीवाली ढाणी, सिरसली, तहसील आमेर, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपरिष्ठतः श्री सुरज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 24.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.06.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री बलबीर सिंह यादव के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं. 1134, ग्राम पंचायत सिरसली, पंचायत समिति आमेर, जयपुर, क्षेत्रफल 286.32 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 09,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 09,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,48,901/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया एवं अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री बलबीर सिंह यादव के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा नं. 1134, ग्राम पंचायत सिरसली, पंचायत समिति आगेर, जयपुर, क्षेत्रफल 286.32 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
अतिरिक्त आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर